



Ref.No. BCCL/HRD/Utthaan/2013/1663

Date: 08-07-2013
10

NOTICE

Sub: PROVIDING UNPAID PRACTICAL TRAINING TO WARDS (SONS) OF SC/ST EMPLOYEES OF BCCL TO ENABLE THEM TO APPEAR IN STATUTORY EXAMINATIONS CONDUCTED BY DGMS UNDER 'UTTHAAN' SCHEME

Applications are invited in the enclosed format from the wards (sons) of SC/ST employees of BCCL who are willing to undertake unpaid practical training in BCCL and appear in statutory examinations conducted by DGMS under UTTHAAN scheme.

Application Forms can be obtained from **29th July 2013 to 10th August 2013** between 11.00 AM to 01.00 PM from the following places.


1. HRD Department, Kalyan Bhawan, Jagjiwan Nagar
2. EMTI, Dhansar
3. All Area VTCs

Photocopy of application forms is also acceptable.

Last date of submitting the filled up forms at the office of the General Manager, HRD Dept; Kalyan Bhawan, Jagjiwan Nagar, Dhanbad is **17th August 2013.**

This follows approval of the competent authority.

Encl: As Above


General Manager (HRD)

Distribution:

1. The CGM/GM _____ Area/Washery/Ropeways / MRS-Dhansar/BCCL Desk office – Kolkata
2. All HODs _____ Koyla Bhawan
3. All Area Personnel Managers
4. All Agent/Managers _____ Colliery
- ✓ 5. The GM (System): With a request to upload the notice on BCCL website
6. Notice Boards, Koyla Bhawan/Kalyan Bhawan.

With a request to exhibit this notice at their office notice boards and for giving a wide circulation at their units.

3617
25/7/13



भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड का एक अंग)
मानव संसाधन विभाग, कल्याण भवन,
जगजीवन नगर, धनबाद- 826003

संदर्भ: भा.को.को.लि./मासंवि/उत्थान/2013/1663

दिनांक: 08-07-2013
70

सूचना

विषय: उत्थान योजना के अंतर्गत भा.को.को.लि. के अनुसूचित जाति/जन जाति के कर्मचारियों के पाल्यों (पुत्रों) को खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा आयोजित की जाने वाली वैधानिक परीक्षाएं देने के लिए सक्षम बनाने हेतु निःशुल्क व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

उत्थान योजना के अंतर्गत बीसीसीएल में निःशुल्क व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने और खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा आयोजित की जाने वाली वैधानिक परीक्षाओं में उपस्थित होने के इच्छुक, भा.को.को.लि. के अनुसूचित जाति/ जनजाति के कर्मचारियों के पाल्यों (पुत्रों) से संलग्न प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदन पत्र 29 जुलाई 2013 से 10 अगस्त 2013 तक प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे के बीच निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त किए जा सकते हैं।

1. मा.सं.वि. विभाग, कल्याण भवन, जगजीवन नगर
2. ईएमटीआई, धनसार
3. सभी क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी)

आवेदन पत्र की छायाप्रति भी स्वीकार की जाएगी।

माहाप्रबंधक, मा.सं.वि. विभाग, जगजीवन नगर, धनबाद के कार्यालय में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त 2013 है।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी।

ए.एस. दासगुप्ता

संलग्न: यथोक्त

महाप्रबंधक (मा.सं.वि.)

प्रतिलिपि:

1. मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधकक्षेत्र/ वाशरी/ रोपवेज/ एमआरएस धनसार/बीसीसीएल डेस्क कार्यालय- कोलकाता।
2. सभी विभागाध्यक्ष..... कोयला भवन।
3. सभी क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक।
4. सभी एजेंट/ प्रबंधक.....कोलियरी।
5. महाप्रबंधक (प्रणाली) : बीसीसीएल की वेबसाइट पर सूचना डालने के अनुरोध के साथ।
6. कोयला भवन/ कल्याण भवन के सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

इस सूचना को अपने कार्यालय के सूचना-पट पर प्रदर्शित करने और अपनी इकाई में व्यापक वितरण के अनुरोध के साथ

खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा आयोजित की जाने वाली वैधानिक परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए भा.को.को.लि. के अनुसूचित जाति/ जन जाति के कर्मचारियों के पाल्यों को निः शुल्क व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र

(कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले अभ्यर्थियों के लिए सामान्य सूचना एवं निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें)

1. अभ्यर्थी का नाम (पाल्य):
2. पुत्र (कर्मचारी का नाम):
3. कर्मचारी का पदनाम:
4. कर्मी संख्या:
5. कर्मचारी की पदस्थापना का स्थान:
6. अभ्यर्थी की जन्मतिथि :
7. 01-07-2013 को आयु:
8. पत्राचार का पता :

पासपोर्ट आकार
का नवीनतम
रंगीन एवं
स्वप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

9. फोन नं.: ई-मेल आईडी(यदि हो):
10. योग्यता :
 - I. शैक्षिक
 - II. तकनीकी/ व्यावसायिक :
11. जाति :
12. पसंदीदा विकल्प (किसी एक पर टिक करें): सरदारशिप सर्वेयरशिप

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचना सत्य एवं सही है। यदि इसमें कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं अनुशासनात्मक/ कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम

दिनांक

कर्मचारी द्वारा घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे पाल्य के संदर्भ में दी गई उपर्युक्त सूचना सही है। यदि इसमें कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं अनुशासनात्मक/ कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँगा।

कर्मचारी के हस्ताक्षर

कर्मचारी का नाम

दिनांक

स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (कंपनी के डॉक्टर द्वारा भरा जाय)

अभ्यर्थी भूमिगत खान में प्रशिक्षण लेने के लिए..... है।

डॉक्टर के हस्ताक्षर

डॉक्टर का नाम

दिनांक

संलग्नक:

1. शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिप (मैट्रिक और उसके बाद)
2. अनुसूचित जाति/ जनजाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिप।
3. स्वयं द्वारा विधिवत प्रमाणित दो फोटो।

इकाई/ क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक के हस्ताक्षर एवं मुहर
(कर्मचारी की सेवा पुस्तिका से उसके पाल्य की वास्तविकता के बारे में सत्यापन के बाद)

Application for availing unpaid practical training from wards of SC/ST employees of BCCL for appearing in statutory examinations conducted by DGMS

(Please follow general information and instructions for applicants before filling the form)

1. Name of the candidate (ward):
2. Son of (Employee's Name):
3. Designation of Employee:
4. Personnel No. of Employee:
5. Place of posting of Employee:
6. Date of Birth of the candidate:
7. Age as on 01-07-2013
8. Correspondence Address:

Paste
Self-attested
recent
passport size
colour
photograph

9. Contact No: _____ email ID (if any): _____
10. Qualification:
 - i. Educational:
 - ii. Technical/Professional:
11. Caste:
12. Choice (Tick any one): SIRDARSHIP SURVEYORSHIP

DECLARATION BY CANDIDATE

I do hereby declare that the above information furnished by me is true and correct. If found otherwise, I shall be liable for disciplinary/legal action.

Signature of the candidate

Name of the Candidate

Date

DECLARATION BY EMPLOYEE

Certified that the above information in respect of my ward is correct. If found otherwise, I shall be liable for disciplinary/legal action.

Signature of the employee

Name of the employee

Date

MEDICAL FITNESS CERTIFICATE (TO BE FILLED BY COMPANY DOCTOR)

The candidate is _____ for taking training in underground mine.

Signature of the Doctor with date

Name of the Doctor

Seal

Enclosures:

1. Self-Attested photocopy of Educational/Technical Qualification (Matric. & Above)
2. Self-Attested photocopy of SC/ST certificate.
3. Two copies of photograph duly self-attested.

Signature and seal of the Unit/Colliery/Area Personnel officer
(After verification from the service file of the employee regarding genuineness of his/her ward)

आवेदकों के लिए सामान्य सूचना एवं निर्देश

उत्थान: भा.को.को.लि. के अनुसूचित जाति/जन जाति के कर्मचारियों के पाल्यों (पुत्रों) को खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा आयोजित की जाने वाली वैधानिक परीक्षाएं देने के लिए सक्षम बनाने हेतु निःशुल्क व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु एक विशेष योजना।

1. **योजना के लिए पात्रता:** यह योजना केवल भा.को.को.लि. के अनुसूचित जाति/ जन जाति के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए है। केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
2. **आवेदकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता:**
 - क. **सरदारशिप प्रशिक्षु के लिए:** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्व विद्यालय से सीनियर सैकेंडरी अथवा इंटर मीडिएट परीक्षा कम से कम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण।
 - ख. **सर्वेयर प्रशिक्षु के लिए:** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्व विद्यालय से सीनियर सैकेंडरी अथवा इंटर मीडिएट परीक्षा कम से कम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण।
3. **01-07-2013 को आयु:** न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष
4. **प्रशिक्षण अवधि:** सरदारशिप प्रशिक्षु के लिए 3 वर्ष. सर्वेयर प्रशिक्षु के लिए 2 वर्ष।
5. **स्थानों (सीटों) की संख्या:** सरदारशिप प्रशिक्षु के लिए 125 तथा सर्वेयर प्रशिक्षु के लिए 25।
6. **चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण एवं सामान्य शर्तें:**
 - क. पात्र उम्मीदवारों में से मैट्रिक तथा सीनियर सैकेंडरी स्कूल या इंटर मीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर चयन किया जाएगा, बशर्ते उम्मीदवार ने सीनियर सैकेंडरी अथवा इंटर मीडिएट की परीक्षा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।
 - ख. पात्र अभ्यर्थियों को एक माह का प्रारम्भिक सैद्धांतिक प्रशिक्षण क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों पर दिया जाएगा। प्रारम्भिक प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों पर मानव संसाधन विभाग द्वारा आयोजित एक परीक्षा(test) उत्तीर्ण करनी होगी। सफल उम्मीदवारों को उनके वर्ग (stream) के आधार पर भा.को.को.लि. की भूमिगत खानों में 2/3 वर्षों के लिए निःशुल्क व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा।
 - ग. **चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण आरम्भ होने से पहले कंपनी के नियमों के अनुसार एक क्षतिपूर्ण बांड प्रस्तुत करना होगा।** कंपनी में बाहरी उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए प्रचलित सभी सामान्य औपचारिकताएं उपर्युक्त समूह पर भी लागू होंगी।
 - घ. प्रशिक्षण सुविधा महाप्रबंधक (मा.सं.वि.) कार्यालय, भा.को.को.लि. द्वारा प्रदान की जाएगी।
 - ङ. अभ्यर्थी इस प्रशिक्षण के आधार पर भा.को.को.लि. में किसी भी प्रकार की नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं।
 - च. अभ्यर्थी को यातायात एवं आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
 - छ. सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि के दौरान अभ्यर्थी के साथ हुई किसी भी प्रकार की दुर्घटना/ चोट आदि के मामले में भा.को.को.लि. किसी भी प्रकार से किसी भी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
 - ज. अभ्यर्थी को न तो किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और ना ही अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए दावा करेगा।
 - झ. अभ्यर्थी की प्रशिक्षण अवधि में न तो किसी भी प्रकार का विस्तार किया जाएगा और ना ही वह प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार के विस्तार के लिए दावा करेगा।
 - ञ. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ **शैक्षिक/ तकनीकी योग्यता (मैट्रिक और अधिक) के प्रमाण पत्रों एवं जाति प्रमाण पत्र** की स्वप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक है। साक्षात्कार के समय उन्हें मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उन्हें भूमिगत खानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कंपनी के डॉक्टर से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
 - ट. अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र पर अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो चिपकाना तथा उसे स्वप्रमाणित करना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ इसी प्रकार के दो विधिवत स्वप्रमाणित फोटो प्रस्तुत करना आवश्यक है।
 - ठ. अभ्यर्थियों एवं और उनके अभिवावक (कर्मचारी) को आवेदन पत्र में उनके द्वारा दी गई सूचना की वास्तविकता संबंधी घोषणा पर हस्ताक्षर करने होंगे। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी पर समुचित दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
 - ड. कर्मचारियों के लिए आवश्यक है कि वे अपनी संबंधित इकाई (जहां उनकी पदस्थापना है) के कार्मिक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर लेकर मुहर लगवा लें। संबंधित कार्मिक अधिकारी हस्ताक्षर करने से पहले कर्मचारी की सेवा पुस्तिका से उसके पाल्य (पुत्र) की वास्तविकता के संबंध में सत्यापन करेंगे।
 - ढ. प्रबंधन अपने पास योजना में किसी भी समय परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 - ण. प्रबंधन अपने पास बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी आवेदनों को स्वीकार, निरस्त करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

GENERAL INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR APPLICANTS

UTTHAAN: SPECIAL SCHEME FOR PROVIDING UNPAID TRAINING TO WARDS (SONS) OF SC/ST EMPLOYEES OF BCCL FOR ENABLING THEM TO APPEAR IN STATUTORY EXAMINATIONS CONDUCTED BY DGMS

1. **Eligibility of the scheme:** This scheme is open only for wards of SC/ST employees of BCCL. Only male candidates are eligible.
2. **Minimum Educational Qualifications of applicants (wards).**
 - a. **For Sirdarship Trainees:** Passed Senior Secondary school Examination or Intermediate Examination from a recognised board or university with at least 45% marks.
 - b. **For Surveyorship Trainees:** Passed Senior Secondary school Examination or Intermediate Examination from a recognised board or university with at least 45% marks.
3. **Age as on 01-07-2013:** Minimum: 18 years. Maximum 25 years.
4. **Duration of training:** For Sirdarship Trainees: **03 years**. For Surveyorship Trainees: **02 years**.
5. **Number of Seats:** For Sirdarship Trainees: **125**. For Surveyorship Trainees: **25**
6. **SELECTION PROCEDURE, TRAINING AND GENERAL CONDITIONS:**
 - a. Selection amongst the eligible candidates to be made centrally on the basis of average % of marks obtained in matriculation and intermediate examinations subject to passing Senior Secondary school Examination or Intermediate Examination from a recognised board or university with at least 45% marks.
 - b. The initial theoretical training to eligible candidates will be imparted at area VTCs for a period of one month. After completion of initial training the candidates will undergo a test to be conducted at the area VTCs by HRD Dept. Successful candidates will be allowed to undergo unpaid practical training in underground mines of BCCL for duration of 3/2 years depending upon their stream.
 - c. **The selected candidates will submit indemnity bond as per rules of the company before undergoing training.** All usual formalities in vogue for training to outside candidates in the company will be applicable for the above mentioned groups.
 - d. The training facilities will be imparted by the office of the General Manager (HRD), BCCL.
 - e. The candidates shall not claim any employment in BCCL on the basis of this training.
 - f. The candidate shall arrange his own transport, accommodation etc.
 - g. BCCL shall not in any way and by any means be responsible for any compensation in case the candidate meets with any accident/injury during his entire training period.
 - h. The candidate shall neither claim any financial assistance-nor shall any financial assistance be provided to the candidate.
 - i. The candidate shall neither claim any extension of training nor shall any extension of training be provided to the candidate.
 - j. The candidates are required to submit self attested photocopies of **educational/technical qualifications** (matriculation and above) and **caste certificate** along with the application. They will be required to produce the original certificates at the time of interview. They are required to produce fitness certificate from company doctor for undergoing training in underground mines.
 - k. The candidates are required to paste one recent passport size colour photograph on the application form and self-attest it. Two copies of the same photograph duly self-attested are required to be submitted along with the application form.
 - l. The candidates and their parent (employee) are required to sign the declaration in the application form regarding the genuineness of the information provided by them. Any false information will invite suitable penal action.
 - m. The employees are required to obtain the signature and seal of the personnel officer of their concerned unit (where they are posted). The concerned personnel officer will verify the genuineness of the employee's ward from their service file before signing it.
 - n. The management reserves the right to modify the scheme at any stage.
 - o. The management reserves the right to accept, reject any or all the applications without assigning any reason whatsoever.